

(1100/VB/SNT)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सुश्री पी.वी. सिन्धु को टोक्यो ओलम्पिक्स में पदक जीतने पर बधाई

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री पी.वी. सिन्धु ने ओलम्पिक खेलों में, बैडमिन्टन एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। उन्होंने लगातार दूसरे ओलम्पिक्स में यह कामयाबी हासिल की है। व्यक्तिगत मुकाबलों में दो ओलम्पिक मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं।

मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सुश्री सिन्धु को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी यह उपलब्धि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगी।

... (व्यवधान)

(प्रश्न 181)

... (व्यवधान)

1103 बजे

(इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री कल्याण बनर्जी, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Mr. Speaker, Sir, this is the first occasion that I have had to answer a question in the House. ... (*Interruptions*) I request the Opposition not to disrupt the Question Hour. ... (*Interruptions*) मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपोजिशन इस क्वेश्चन ऑवर को डिसरप्ट न करो... (व्यवधान)

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी।... (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार का अवसर देते रहेंगे।... (व्यवधान)

मेरा पहला प्रश्न प्रधानमंत्री कौशल योजना-तीन के संदर्भ में है, जो जनवरी, 2021 में शुरू की गई है।... (व्यवधान) यह डिमांड ड्रिवेन है और इसमें डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार दिया गया है। अगर आप देखेंगे, तो इस कमेटी के कम्पोजिशन में कोई भी पब्लिक रिप्रजेंटेटिव जैसे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड नहीं हैं।... (व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर वेलफेयर ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश भी की है।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस सिफारिश पर विचार कर स्कीम की गाइडलाइंस को अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी में लोकल मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को मनोनीत करने का कोई प्रावधान करेंगे, जिससे उनके गाइडेंस और इनपुट्स लिए जा सकें? ... (व्यवधान)

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, the Member has rightly identified the importance of the Skill India Mission for the future of our youth and their employment, and I am grateful that he has asked such an important question. ... (*Interruptions*) Currently, the Sector Skill Council and the District Skill Council members are nominated by the NSDC. ... (*Interruptions*)

The Member has made some suggestions of appointing public officials into that Committee. ... (*Interruptions*) Currently, there is no provision for the same. The NSDC and the Sector Skill Councils working with the District Skill Councils decide the representations on the Skill Committees, both district-wise and sector-wise. ... (*Interruptions*)

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न एन्टरप्रिन्योरशिप से संबंधित है, जिस पर हमारी सरकार फोकस कर रही है। ... (व्यवधान)

वर्ष 2019 में मंत्रालय ने एन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इन हॉली सिटी स्कीम को पायलट बेसिस पर शुरू किया था। ... (व्यवधान) मैं जिस अहमदनगर जिले से आता हूँ, वहाँ शिर्डी में साँई

बाबा का मन्दिर और शनि शिंगणापुर में शनि भगवान का मन्दिर स्थित है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं... (व्यवधान)

मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि शिर्डी और शनि शिंगणापुर के टूरिज्म पोटेंशियल को देखते हुए और उनके लोकल इकोनॉमी के विकास के लिए क्या सरकार इस स्कीम का दायरा बढ़ाकर इन दोनों धार्मिक स्थलों का समावेश इस स्कीम में करेगी, जिससे यहाँ के रिलीजियस टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य करने वालों का विकास हो सके? ... (व्यवधान)

(1105/RBN/IND)

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR : Mr. Speaker, Sir, I just want to respectfully point out to the hon. Member that the Question pertains to the PMKVY and the short-term training programmes under that.

His supplementary question pertains to entrepreneurship. So, may I request him to submit a specific question on entrepreneurship. However, I would point out to the hon. Member that the schemes for short-term training include schemes for tourism sector, both in the large employment sector as well as in the informal sector. So, the current provisions for skill development do cover the tourism sector.

To the specific question on entrepreneurship, may I request the Member to submit a separate question directly to the Ministry or through Parliament.

HON. SPEAKER: Shri Dhairyasheel S. Mane

... (*Interruptions*)

(ends)

(प्रश्न 182)

श्रीमती रेखा अरुण वर्मा (धौरहरा) : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा रसोई गैस सिलेंडरों के प्रयोग का वार्षिक औसत क्या है और योजना की मंशा के अनुरूप रसोई गैस के प्रयोग को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्री हरदीप सिंह पुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहता हूँ कि वे जिस उज्ज्वला योजना की आज प्रशंसा कर रही हैं, वह योजना वर्ष 2016 में आरम्भ हुई थी। इस योजना को शुरू करने की मंशा यह थी कि मार्च, 2020 तक 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन्स लाभार्थियों को दिए जाएं। आपको यह जानकारी देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मार्च, 2020 से सात महीने पहले ही 8 करोड़ कनेक्शन्स इस योजना के तहत दिए जा चुके हैं। The true significance of the Ujjwala Scheme lies not just in the eight crore connections which have been provided, nor does it lie just in the hon. Finance Minister's statement in her Budget speech that there is an intention to provide one more crore gas connections. But the real significance lies in the fact that our sisters and mothers, who had been reliant on traditional modes of cooking fuels which are injurious to health, had been able to convert and utilise this. Then, during the pandemic period, three more cylinders had been given to beneficiaries.

An average household normally uses six to seven cylinders a year. Our effort is to incentivise and to encourage our sisters and mothers to shift to a clean cooking medium. This is a work in process and this process will continue.

So, I would like to inform the hon. Member that today we have 29.11 crore gas connections in the country, which is a significant increase since 2014. I would also like to inform the hon. Member that from 2014, there has been an 80 per cent increase in the number of LPG distributorship; there has been a five per cent increase in bottling plant; and there has been a 60 per cent increase in bottling capacity. The number of terminals importing gas has gone up from 11 to 14. The import capacity has gone up from 12.02 million metric tonnes per annum to 16.80 million metric tonnes per annum, which is a 40 per cent increase. (1110/SRG/KDS)

Sir, the length of the LPG pipeline has gone up by 77 per cent and the pipeline capacity has gone up by 143 per cent. ... (Interruptions) The total LPG consumption today, has again, gone up by 57 per cent. ... (Interruptions). I am a newly appointed Minister. These are far-sighted visionary policies which were

initiated by the hon. Prime Minister and I am very fortunate that I had a very distinguished and experienced colleague who is sitting right in front of me who implemented these policies ... (*Interruptions*). I just have the privilege of inheriting that and I want to assure the hon. Member that I will take it further till the entire country is covered by pipeline from 400 districts just now to all the 700. ... (*Interruptions*)

श्रीमती रेखा अरुण वर्मा (धौरहरा): माननीय अध्यक्ष जी, उपभोक्ता शिकायत निवारण की क्या व्यवस्था है? ... (व्यवधान) आमतौर पर उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें की जाती हैं। ... (व्यवधान) क्या गैस एजेंसी पर इसके लिए जुर्माने का भी कोई प्रावधान है? ... (व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, we have a very simplified system whereby gas connections are granted. ... (*Interruptions*).. You just have to apply and it will be granted. There was a time when I was much younger when getting a gas connection was more difficult than getting an American visa. ... (*Interruptions*) Today, we can get the gas connection straightaway. The number of distributorships is also being arranged in order to ensure that there is the widest possible spread of this basic requirement and facility throughout the country. ... (*Interruptions*)

(ends)

(प्रश्न 183)

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, हम सभी ने देखा है कि इस कोविड पैनेडेमिक पीरियड में स्कूलों को बंद रखा गया। ... (व्यवधान) विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ी। ... (व्यवधान) आज भी ट्राइबल एरियाज में लाइट और नेटवर्क की वजह से काफी असुविधा है।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इस कोविडकाल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देते समय क्या समस्याएं आईं और उनको भविष्य में सुलझाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पहली बार इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर जहां एक तरफ नई शिक्षा नीति प्रारम्भ की गई, ... (व्यवधान) वहीं जनजातीय लोगों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के रूप में प्रारंभ की गई थीं, उनकी एक राष्ट्रीय दृष्टि इस योजना के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। ... (व्यवधान) यह कोशिश की जा रही है कि इसके माध्यम से हम सतही तौर पर क्वालिटी एजुकेशन को एन्शोर करें ताकि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले तमाम जनजातीय बंधुओं को अच्छी शिक्षा मिले। ... (व्यवधान) यह एक बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से प्रधान मंत्री जी का एक दूरदर्शी कदम है। उसी लक्ष्य को लेकर मंत्रालय ने इस विद्यालय का कार्य प्रारम्भ किया है। ... (व्यवधान)

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्टिकुलर प्रश्न था कि कोविड पीरियड में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देते हुए ऑनलाइन परीक्षा ली जाती थी। ... (व्यवधान) इसमें उनको क्या समस्याएं आईं तथा मंत्रालय भविष्य में इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है ताकि आगे चलकर उनको इस प्रकार की समस्याएं न आएं। ... (व्यवधान)

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने वर्ष 2022 तक लगभग 700 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ... (व्यवधान) लेकिन उत्तर में दिया गया है कि 367 स्कूल अभी फंक्शनल हैं और उनमें 85 हजार 232 विद्यार्थी इनरोल्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के हिसाब से यदि हम ट्राइबल की पॉपुलेशन देखें तो यह संख्या काफी कम लग रही है। ... (व्यवधान)

(1115/CS/AK)

महोदय, एकल संस्था जैसी बहुत सी संस्थाएं देश के ट्राइबल विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए काम कर रही हैं।... (व्यवधान) अगर हम एकल संस्था के बारे में सोचें तो उनके लगभग एक लाख सात हजार छोटे-छोटे स्कूल हैं, जो हर ट्राइबल एरियाज में हैं।... (व्यवधान) उस संस्था को वे प्राइवेट फंडिंग की मदद से चलाते हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अगर हम लोग ऐसी संस्थाओं को रिकोग्नाइज करें।... (व्यवधान) अभी पूरे देश में उनके करीब एक लाख छोटे-छोटे स्कूल हैं।... (व्यवधान) अगर हम लोग उनके नेटवर्क का फायदा लेकर, उनको रिकोग्नाइज करके उनकी कोई

मदद करें तो निश्चित रूप से हम लोग ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच सकते हैं और जल्द से जल्द उनको अच्छा शिक्षण दे सकते हैं।... (व्यवधान)

मेरा यह प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी संस्थाओं को रिकोगनाइज करके, उनके नेटवर्क का फायदा ले सकती है या नहीं? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उनकी चिंता अच्छी है कि जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले?... (व्यवधान) कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसे विद्यालयों पर काम कर रही हैं, जहाँ बच्चों को शिक्षा मिल रही है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा मंत्रालय ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है।... (व्यवधान) हम स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके प्रोजेक्ट के अनुसार, राज्य सरकार की अनुशंसा के आलोक में पर्याप्त आबंटन देते हैं।... (व्यवधान) हम ऐसे स्कूलों को प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ एनजीओ के माध्यम से शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है।... (व्यवधान) हम एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर समतुल्य, क्वालिटी एजुकेशन मिले।... (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने कोविड की चिंता जाहिर की है, निश्चित रूप से पूरा देश कोविड से चिंतित है।... (व्यवधान) जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय क्षेत्र के लोगों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है।... (व्यवधान) कोविड के समय में उन्हें ऑनलाइन शिक्षा मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा मिल भी रही है।... (व्यवधान) उन्हें और क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इन चीजों पर भी मंत्रालय लगातार काम कर रहा है।... (व्यवधान) जनजातीय बच्चों को किसी भी तरह की कठिनाई न हो, इसकी चिंता मंत्रालय लगातार कर रहा है।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri A. K. P. Chinraj.

... (Interruptions)

(इति)

(प्रश्न 184)

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद): महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद... (व्यवधान)

महोदय, केन्द्र सरकार की प्रधान मंत्री मुद्रा योजना बेहद कारगर साबित हो रही है... (व्यवधान) यह लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है... (व्यवधान) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्योगपति ऋण लेकर अपना कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं एवं भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान कर रहे हैं... (व्यवधान) बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने पिछले 6 सालों के दौरान मुद्रा योजना के तहत 28.68 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 14.96 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज मंजूर किए हैं... (व्यवधान) उद्योगपतियों से लेकर मेहनतकश किसानों तक सभी की वित्तीय जरूरतों को विभिन्न पहलों के जरिए पूरा किया गया है... (व्यवधान)

महोदय, यह दिखाता है कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी साहब हाशिये पर पहुँचे सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी आदि को सपोर्ट करने और उसके वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रगतिशील सोच वाले किसान, जो पारम्परिक खेती से हटकर व्यवसाय की दृष्टि से लाभपरक, रचनात्मक खेती करने की सोच रखते हैं, पर खुद की जमीन या खेत न होने के कारण और धन के अभाव में दूसरे से लीज, जमा या रहन पर भी खेत लेकर अपना उद्देश्य पूरा करने में असमर्थ हैं... (व्यवधान) क्या ऐसे किसान खेत लीज, जमा या रहन हेतु आवश्यक धनराशि के प्रबन्ध हेतु मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए पात्र हैं, यदि नहीं तो क्या सरकार मुद्रा योजना का दायरा ऐसे किसानों तक पहुँचाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?... (व्यवधान) धन्यवाद, आभार... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, the hon. Member has raised a very important question. ... (Interruptions) Let me please submit to this august House that Mudra loan is available for manufacturing, training, services and also for activities allied to agriculture. ... (Interruptions)

The concern of the hon. Member was how an agriculturist holding lease land will raise the loan. ... (Interruptions)

(1120/SPR/KN)

I would like to submit that in the *Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)*, banks and lending institutions have been advised to not insist on any collateral security so that it is possible for such agricultural and allied activity persons to take *Mudra* loans, even without the fear of providing security. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद): नहीं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती शारदा अनिल पटेल।

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, कम शब्दों में कहें तो माननीय मोदी जी की सरकार की सभी योजनाएँ अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक के जीवन को लगातार ऊँचा उठाने में कारगर सिद्ध हो रही हैं... (व्यवधान) महोदय, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के प्रचार-प्रसार और जन-जन तक इस योजना की जानकारी हो, इसके लिए मोदी जी की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। ... (व्यवधान) नागरिकों के कुछ ऐसे वर्ग हैं, विशेषकर ग्रामीण किसान, मजदूर और आदिवासी, जो इन प्रचार माध्यमों पर अपनी व्यस्तता के कारण ध्यान नहीं दे पाते हैं... (व्यवधान) बिहार, झारखंड जैसे प्रदेशों में अधिकतर ऐसे ग्रामीण मजदूर और किसान मिल जाएँगे, जिनको जानकारी के अभाव में ऐसी गेम चेंजर योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता है। योजना के बारे में ऐसे लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। इस योजना से उनका जीवन स्तर उठ सकता है। ... (व्यवधान)

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है? यदि हाँ, तो मुद्रा योजना जैसी योजना के बारे में अंतिम पायदान पर खड़ा हर एक व्यक्ति जागरूक हो और इसका फायदा उठा सके, इसके लिए सरकार भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार रखती है? ... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the hon. Member has rightly spoken about the concern of the hon. Prime Minister in reaching out the financial and credit assistance to the poorest of the poor, even if they are in the remotest areas. ... (*Interruptions*) But yet, the Member has rightly pointed out that even then, in very many areas in the country, which are located in very remote places, the public and the poorest of the poor may not have the information and because of want of knowing about it, they may not have the benefit reaching them. ... (*Interruptions*) However, I wish to tell the Member that through All India Radio and Doordarshan, and also through various mediums, we are very clearly showing those poor people who have benefited from this programme; their experience is voiced. Through that, in every State's regional language, information is being broadcast through All India Radio and Doordarshan so that even in the far flung areas, people will get to know about the Programme. We would further be doing this so that more people can derive benefit out of it. ... (*Interruptions*)

(ends)

(Q.185)

SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): Sir, the measures were announced for the MSME sector in post-COVID times. The MSEMSE sector in India faces several challenges. There is a need to strengthen access to formal sources of finance and credit enhancement, including that of women-headed MSMEs, and strengthen the coordination in the national and State MSME support programmes. ... (Interruptions) What measures have been taken at all the levels to enhance the access to credit and finance to the MSMEs? The MSME clusters in the district of Belagavi, Karnataka, and in my own Chikkodi constituency face logistical issues in value chains to have access to both domestic and international markets. What steps are being taken to integrate them into larger industries' logistical chains to ease the access to the markets? ... (Interruptions)

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। कोविड-19 महामारी ने देश में एमएसएमई सहित अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है।... (व्यवधान) दरअसल, इस कोविड की समस्या को हमें वैश्विक परिदृश्य में समझना पड़ेगा। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया की हर अर्थव्यवस्था पर असर डाला है और भारत भी इसमें अछूता नहीं रहा है।... (व्यवधान) हाल ही में भारत सरकार ने एमएसएमई के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।... (व्यवधान)

(1125/GG/UB)

जैसे एमएसएमई के 20 हजार करोड़ रुपये का अधिनस्थ ऋण देना। ... (व्यवधान) एमएसएमई की निधियों की निधि के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करना। ... (व्यवधान) स्फूर्ति स्कीम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के निवेश की सीमा बढ़ा कर सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया है। ... (व्यवधान) 'उद्यम' नामक पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई है। ... (व्यवधान) ऐसे तमाम प्रकार के प्रस्ताव सरकार ले कर आई है, जिससे आम जनता को मदद मिल सके। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बी. वाई. राघवेन्द्र जी।

... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 186 - श्री वी. वैथिलिंगम जी।

... (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सर, विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 186 के साथ प्रश्न 196 को क्लब किया जाता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रामदास तडस जी।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सर, मैं विवरण सदन के पटल पर रखता हूँ। ... (व्यवधान)

(प्रश्न 187)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): MICE is an important division in the tourism industry which consists of Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Nowadays, in India, destination weddings and all kinds of functions are happening which have to be included in MICE. The overall global share of our country in MICE is only one per cent. It is not so good for the country. If the country can develop it with a lot of incentives, we will be able to compete with Italy and such other European countries.

At present, there are only individual professional conference organisers who lead the bidding of various international events. There is a lack of proper information, intelligence, and bidding support. Considering the same, is the Government going to bring out an integrated system for capturing information about various national and international MICE events and provide bidding support for the same?

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष जी, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 'माइस (एम.आई.सी.ई.)' टूरिज्म की जो मीटिंग्स, इनसेटिव्स, कॉन्फ्रेंसिस, एग्जिबिशन आदि होते हैं, उनके विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। ... (व्यवधान) इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार भारत सरकार देती है। ... (व्यवधान) आईसीपीबी (इंडिया कनवेंशन प्रमोशन ब्यूरो) फ्लैगशिप एन्युअल इवेंट कार्यक्रम के द्वारा भी, इंडिया कॉन्क्लेव का भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ... (व्यवधान) कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स, एग्जिबिशन के लिए इंडिया आने वाले सभी फॉरेन डेलिगेट्स को फॉरन टूरिस्ट मानते हुए, उनके लिए ई-कॉन्फ्रेंस वीजा की शुरुआत भी की है। ... (व्यवधान)

एमएसएमई टूरिज्म प्रमोशन के लिए मीडिया कैंपेन का काम भी शुरू किया गया है। ... (व्यवधान) चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम (CSSS) जिसमें भारत सरकार ने 12 सैक्टर्स को चैंपियन सर्विस सेक्टर माना है, उसमें भी टूरिस्ट डिपार्टमेंट को चैंपियन सैक्टर के तहत इंसेटिव्स, कॉन्फ्रेंसिस एण्ड एग्जिबिशन के ऑर्गेनाइजर्स को सपोर्ट सरकार द्वारा दिया जाता है। ... (व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा नेशनल स्ट्रैटेजी एण्ड रोड मैप फॉर दी माइस टूरिज्म के ड्राफ्ट के लिए एक कमिटी की स्थापना डिपार्टमेंट के अंतर्गत की है। उस संबंध में उन्होंने एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी का भी तैयार किया है। ... (व्यवधान)

(1130/RV/KMR)

उसे हमने अभी पूरे देश की जनता के सामने, स्टेकहोल्डर्स के सामने वेबसाइट में इस नेशनल स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट को लगाया है।... (व्यवधान) इस वेबसाइट के अन्दर हमने भारत सरकार के अलग-अलग विभागों से भी सुझाव मांगा है।... (व्यवधान) इस 'माइस (एम.आई.सी.ई.)' टूरिज्म के लिए

‘माइस’ इवेंट्स को बढ़ाने, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा हमने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है और इस नेशनल स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट को भी उन्हें भेजा है।... (व्यवधान) अभी तक हमें कुछ राज्य सरकारों ने इस ड्राफ्ट पर इनपुट्स दिए हैं, भारत सरकार के कुछ विभागों ने भी इस पर इनपुट्स दिए हैं।... (व्यवधान) इसके साथ-साथ इसके जो स्टेकहोल्डर्स हैं, जैसे इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, फिक्की, आई.सी.पी.बी., एच.ए.आई. इत्यादि ने भी इनपुट्स दिए हैं।... (व्यवधान) मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, ‘माइस’ इवेंट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाने चाहिए, उसे भारत सरकार उठाएगी।... (व्यवधान) आने वाले दिनों में जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होंगे, एग्जीबिशन होंगे, इवेंट्स होंगे, जो डेस्टिनेशन होंगे, उन सभी को भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए हम सारे कदम उठाएंगे।... (व्यवधान)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I appreciate the hon. Tourism Minister's efforts in this. However, I would like to make a suggestion. The National Strategy and Roadmap for MICE industry has been formulated now. I would request that the hon. Members of Parliament be included in that and suggestions from them be taken in. Then only we can help the market grow and provide support to the organisations and associations hosting events.

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, जो ड्राफ्ट स्ट्रैटेजी है, वह वेबसाइट पर है।... (व्यवधान) मैं सभी सांसद महानुभावों से अनुरोध करता हूँ कि टूरिज्म विभाग की वेबसाइट पर वह ड्राफ्ट पॉलिसी है।... (व्यवधान) आप उसे देखकर पॉजीटिव सुझाव, कंस्ट्रक्टिव सजेसंस दीजिए।... (व्यवधान) जो भी कंस्ट्रक्टिव सजेसंस आपके आते हैं, भारत सरकार उनका पूरा-पूरा उपयोग कर आने वाले दिनों में इस टूरिज्म को बढ़ाने का प्रयास करेगी।... (व्यवधान)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Sir, today Indian MICE market is growing consistently with huge outbounds where we need to match the offerings of the overseas destinations to retain business in India. What steps has the Government taken to tap outbound Indian MICE market? Does the Government have any plans to conduct ranking of the States and select cities on MICE ecosystem? If so, what is the timeline of the execution of the same?

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष जी, मैंने अभी बताया कि ‘माइस’ टूरिज्म बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।... (व्यवधान) यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के द्वारा जो न्यू कन्वेंशन सेन्टर्स बनाए जाते हैं, उनके बारे में बहुत दिनों से टूरिज्म ऑपरेटर्स की डिमांड है कि जो भी न्यू कन्वेंशन सेन्टर्स बनाए जाते हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। उनकी उन्हें इंडस्ट्रियल स्टेटस दिए जाने की भी मांग है।... (व्यवधान) यह बताते हुए मैं हर्ष व्यक्त करता हूँ कि अभी-अभी वित्त विभाग ने उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल स्टेटस देने का निर्णय किया है।... (व्यवधान) आने वाले दिनों में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, अच्छे एनवायरन्मेंट

के लिए भारत के टूरिज्म सेक्टर को इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ कदम उठाने वाले हैं... (व्यवधान) अभी आपको बताना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है... (व्यवधान) इसमें एक ही विषय है कि ग्लोबल माइस इंडस्ट्री में इंडिया की रैंक कम है, यह मैं मानता हूं... (व्यवधान)

(1135/MY/RCP)

अगर हम वर्ष 2014 से कम्पेयर करें तो वर्ष 2017 में भारत की रैंक 24 परसेंट हो गयी। ... (व्यवधान) इसके साथ-साथ वर्ष 2014 में 160 इवेंट्स होते थे। अभी वर्ष 2017 में 175 इवेंट्स ऑर्गनाइज किए गए। ... (व्यवधान) ग्लोबल माइस (एम.आई.सी.ई.) रैंकिंग वर्ष 2014 में 25 परसेंट थी। अभी वर्ष 2017 में वह रैंक बढ़कर 22 परसेंट हो गयी... (व्यवधान) वैसे ही वर्ष 2014 में विदेशों से 16,102 पार्टिसिपेन्ट्स ने भाग लिया था। वर्ष 2017 में 72, 230 पार्टिसिपेन्ट्स ने भारत के इवेंट्स में भाग लिया... (व्यवधान) यह भारत में अच्छी इम्प्रूवमेंट है और माइस (एम.आई.सी.ई.) इवेंट्स में भागीदारी हो रही है। ... (व्यवधान) आने वाले दिनों में इसके लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट बनाया गया है, ड्राफ्ट पॉलिसी अनुमोदन होने के बाद और डिपार्टमेंट के द्वारा निर्णय होने के बाद, उसके लिए अलग-अलग कदम उठाकर माइस (एम.आई.सी.ई.) टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर 188, सुश्री महुआ मोइत्रा

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, a statement is laid on the Table of the House. ... (*Interruptions*)

(pp. 14-30)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गण, आप सब माननीय हो, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मेरा आपसे आग्रह है, लगातार दो सप्ताह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, उसके कारण करोड़ों रुपये देश की जनता के खर्च हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, यह सदन चर्चा और संवाद तथा जनता की समस्या व अभाव रखने के लिए है। आप सब माननीय गण हो, आपका व्यवहार समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए। लेकिन माननीय गण, आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियाँ लहरा रहे हैं, यह सदन के लिए उपयुक्त नहीं है और हमारी संसदीय परंपराओं के लिए भी उपयुक्त नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आग्रह है कि आप सब सदन में अपनी-अपनी सीट पर विरोजों। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप विरोजों। मैं आप सब को मौका दूँगा। आप माननीय हैं। आप लाखों मतदाताओं को रिप्रेजेंट करते हैं।

प्लीज़, आप सब अपने-अपने स्थान पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1138 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/CP/RK)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई।
(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री हिबी इडन, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री पी. आर. नटराजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नंबर 2 से 7.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री भूपेन्द्र यादव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप-योजित बीमा (संशोधन) योजना 2021 जो 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.299(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इसका एक शुद्धिपत्र जो 3 मई, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.315(अ) में प्रकाशित हुआ था। (केवल हिन्दी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी070 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी071 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफॉर्मेशन यूटीलिटीज) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी072 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी073 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंसोलवेंसी प्रोफेशनल एजेंसियों के लिए शासी बोर्ड और मॉडल उप-विधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी074 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.256(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.415(अ) जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) सा.का.नि.408(अ) जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (5) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 10क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1 जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 13वीं परिषद, 2021 की ईस्टर्न इंडिया रीजनल कंस्टीट्यूटिवी की नेमैतिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सनदी लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2021 जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई-सीए(7)/197/2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सनदी लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई-सीए(7)/196/2021 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री पंकज चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति, जून, 2021 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गर्ड-कार्रवाई संबंधी 36वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2020 जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (दो) फेसलैस मूल्यांकन (पहला संशोधन) योजना, 2021 जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 741(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (तीन) का.आ. 742(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 3265 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (चार) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2021 जो 5 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (पांच) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 162(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (छह) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 170(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (सात) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 175(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (आठ) आयकर (पांचवा संशोधन) नियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (नौ) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2021 जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 212(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (दस) फेसलैस अपील (संशोधन) योजना, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1438(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (ग्यारह) का.आ. 1439(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 25 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3291(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (बारह) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 जो 5 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 250(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (तेरह) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 जो 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (चौदह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (पंद्रह) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (सोलह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (सत्रह) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 4 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (अठारह) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (उन्नीस) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (बीस) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (इक्कीस) का.आ. 2336(अ) जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (बाईस) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 2 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2021 जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 472(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (3) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 12 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3847(अ) जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ. 4804(अ) जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ. 471(अ) जो 31 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ. 1704(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का.आ. 2581(अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ. 964(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अंतर्गत

घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों की छूट) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1703(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2580(अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) वित्त कर अधिनियम, 2016 की धारा 179 के अंतर्गत इक्वेलाइजेशन लेवी (संशोधन) नियम, 2020 जो 28 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3865 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194क्यू के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 45 की उप-धारा (4) और धारा 9ख के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/13 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडर राईटर्स) (निरसन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/15 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/18 में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अर्जन और टेकओवर) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/19 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/21 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/22 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/24 जो 12 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो निकायों को अर्हक वित्तीय बाजार भागीदारों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/09 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेश सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/11 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर दलाल) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/14 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/17 में प्रकाशित हुए थे।

- (बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/16 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शुल्क का भुगतान और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यस्थ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20 में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/10 में प्रकाशित हुए थे।

(9) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 जो 19 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और क्लियरिंग निगम) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/12 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर-सूचीबद्धकरण) विनियम, 2021 जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021-25 में प्रकाशित हुए थे।

(11) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सिक्का निर्माण (श्रीला ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सिक्का निर्माण (श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 300 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 204(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 16 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) का.आ. 1274(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय उसमें उल्लिखित छह विनिर्मित ओषधियों और विनिर्मित ओषधियों के साल्ट और तैयारी की प्रक्रियाओं को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ. 1275(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय उसमें उल्लिखित पंद्रह विनिर्मित ओषधियों

और विनिर्मित ओषधियों के साल्ट और तैयारी की प्रक्रियाओं को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1276(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसका आशय तैतीस स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की 'लघु मात्रा' और 'वाणिज्यिक मात्रा' अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ग) के अंतर्गत 15 अप्रैल, 2021 के आदेश संख्या एफ. संख्या 225/22/2021-आईटीए-दो की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 4 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 26/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.1068(अ) जो दिनांक 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.1207(अ) जो दिनांक 15 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं. 31/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना सं. 32/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के

आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) का.आ.1419(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) अधिसूचना सं. 40/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का.आ.1628(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) अधिसूचना सं. 43/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का.आ.1728(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) अधिसूचना सं. 46/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 6 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) का.आ.1857(अ) जो दिनांक 13 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप,

स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेरह) अधिसूचना सं. 48/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 20 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) का.आ.2097(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) अधिसूचना सं. 51/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का.आ.2338(अ) जो दिनांक 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) का.आ.2349(अ) जो दिनांक 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) अधिसूचना सं. 54/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 17 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) का.आ.2664(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप,

स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बीस) अधिसूचना सं. 57/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) अधिसूचना सं. 59/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो दिनांक 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयात और निर्यात माल के आकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) का.आ.2845(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सा.का.नि.226(अ) जो दिनांक 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 69/2011-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट माल के संबंध में टैरिफ रियायतों को गहन बनाया जा सके जब उनका आयात भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुसार 01.04.2021 से जापान से किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) सा.का.नि.235(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि (एक) एक्स-रे मशीनों के पीएमपी के अनुसार, एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों पर बीसीडीको बढ़ाया जा सके, (दो) विद्युतचालित वाहनों के पीएमपी के अनुसार, विद्युतचालित वाहनों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट माल पर बीसीडी को बढ़ाया जा सके, और (तीन) अन्य संबंधी बदलावों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सा.का.नि.237(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02.02.2020 की अधिसूचना

सं. 50/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि एक्स-रेमशीनों के पीएमपी के अनुसार एक्स-रे मशीनों के विनिर्दिष्ट भागों पर स्वास्थ्य उपकरण से छूट को जारी रखी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस)

सा.का.नि.236(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 अधिसूचना सं. 52/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि सीमाशुल्कटैरिफ अधिनियम, 1975 की संशोधित प्रथम अनुसूची के साथ इसे संरेखीय किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची को वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा संशोधित किया गया था।

(सत्ताईस)

सा.का.नि.241(अ) जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-मॉरीशिस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) के कार्यान्वयन की पहली श्रृंखला को अधिसूचित किया जाना है ताकि भारत-मॉरीशिस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए), जो कि दिनांक 01.04.2021 से प्रभाव में आया है, के अनुसार विनिर्दिष्ट माल के मॉरीशिस से आयात पर टैरिफ रियायतों को बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाईस)

सा.का.नि.253(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निम्नलिखित अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 के प्रासंगिक धाराओं के सन्दर्भ में वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के सन्दर्भों को प्रतिस्थापित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस)

सा.का.नि.284(अ) जो दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रशासनिक मंत्रालयों की अनुशंसाओं के आधार पर कोविड-19 के राहत उपाय के रूप में 31 अक्टूबर, 2021 तक रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर के उत्पादन में प्रयुक्त रेमडेसिविरएपीआई तथा बीटासाक्लोडेक्सट्रिन (एलबीईबीसीडी) के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उगाही योग्य सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीस) सा.का.नि.286(अ) जो दिनांक 24 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 के राहत उपाय के रूप में 31 जुलाई, 2021 तक मेडिकलऑक्सीजन, ऑक्सीजन चिकित्सा उपकरण एवं उनके विनिर्दिष्ट पुजो, वेंटीलेटरों तथा विनिर्दिष्ट उप-साधनों तथा कोविड-19वैक्सीनों के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उगाही योग्य सीमा शुल्क तथा वित्त नियम, 2020 की धारा 141 के अंतर्गत उगाही योग्य स्वास्थ्य शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (इकतीस) सा.का.नि.303(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रशासनिक मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर, कोविड -19 उपचार उपाय के रूप में, इन्फ्लेमेन्ट्रीडायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, यथा- 116, डी-डायमर, सीआरपी (सी-रिआक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेट डी-हायड्रोजेनस), फेरिटिन, प्रो-केलसीटोनिन (पीसीटी) और ब्लड गैसरिजेन्ट्स के आयात पर सीमाशुल्कटैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क पर दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक छूट प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (बत्तीस) सा.का.नि.313(अ) जो दिनांक 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2021 तक 28% से 12% तक निजी उपयोग के लिए आयातित ऑक्सिजन केंद्रक पर आईजीएसटी को कम किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (तैंतीस) सा.का.नि.354(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 24 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना सं. 28/2021-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि कोविड-19 राहत उपाय के रूप में एम्फोट्रीसिन बी के आयात पर सीमाशुल्कटैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क में छूट दी जा सके और उक्त मूल अधिसूचना के तहत दिनांक 31 अगस्त 2021 तक दी जा रही छूट को भी बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (चौत्तीस) सा.का.नि.355(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 27/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 और अधिसूचना सं. 28/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 में विनिर्दिष्ट माल के आयात पर एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत) लगाए जाने वाले एकीकृत कर से 31 अगस्त, 2021 तक कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, कुछ शर्तों के अधीन, जैसा कि जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में अनुशंसा की गई है, के अनुसार छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पैंतीस) सा.का.नि.401(अ) जो दिनांक 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 30/2021, दिनांक 01.05.2021 को रद्द करना है क्योंकि यह जीएसटी परिषद् की दिनांक 12.06.2021 को हुई अपनी 44वीं बैठक की अनुशंसा के आधार पर अधिसूचना संख्या 05/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14.06.2021 के तहत ऑक्सीजनसंकेंद्रकों पर आईजीएसटी की दर को कम किए जाने के प्रावधान के पश्चात् अनावश्यक हो गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छत्तीस) सा.का.नि.449(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2021 तक क्रूडपाम तेल [1511 10] पर बेसिक सीमाशुल्क 15% से 10% और क्रूडपाम तेल से भिन्न पाम तेल पर [151190] 54% से 37.5% घटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सैंतीस) सा.का.नि.316(अ) जो दिनांक 3 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 सुरक्षा उपाय के, शर्तों के अधीन अधिसूचना सं. 27/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 और अधिसूचना सं. 28/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 में विनिर्दिष्ट माल के आयात पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत लगाए जाने वाले एकीकृत कर में छूट दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (अड़तीस) सा.का.नि.353(अ) जो दिनांक 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तदर्थ रियायत आदेश सं. 04/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 3 मई, 2021 में संशोधन करके कोविड-19 राहत उपाय के रूप में, जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर, उक्त मूल तदर्थ रियायत आदेश की वैधता को दिनांक 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतालीस) सा.का.नि.487(अ) जो दिनांक 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोविड-19 राहत उपायों के रूप में 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई)/ एक्फोटेरिसिन बी के पदार्थों के आयात पर और 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के लिए कोविड-19 परीक्षण किट विनिर्माण के लिए कच्चे मालों के आयात पर भी कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1917 के प्रथम अनुसूची के तहत लगाए गए सीमा शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चालीस) सा.का.नि.493(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर मरम्मत के लिए विदेश में निर्यात होने के बाद माल के पुनः आयात पर आईजीएसटी की उद्ग्रहणीयता को स्पष्ट किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतालीस) सा.का.नि.494(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 46/2017-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद् की सिफारिश पर मरम्मत के लिए विदेश में निर्यात होने के बाद माल के पुनः आयात पर आईजीएसटी की उद्ग्रहणीयता को स्पष्ट किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बयालीस) सा.का.नि. 467(अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा "भारत का अन्य देशों के साथ सीमा-शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर प्रशासनिक सहायता" संबंधी समझौतों या व्यवस्थाओं को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) सा.का.नि. 224(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31.03.2022 तक ईओयू द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चवालीस) सा.का.नि. 232(अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अग्रिम प्राधिकृत और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजनाओं के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर 31.03.2020 तक एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 252(अ) जो 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं को संशोधित करना है, ताकि वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 की प्रासंगिक धाराओं के संदर्भों में वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के संदर्भों को प्रतिस्थापित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सीमा-शुल्क (भारत गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य के बीच समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अधीन वस्तुओं के मूल स्थान का निर्धारण) नियम, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और मॉरिशस गणराज्य के बीच समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अधीन वस्तुओं के मूल स्थान का निर्धारण) नियम, 2021 जो 9 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 163(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 167 (अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या निर्यात होने वाले 'सिप्रोफलोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड' के आयात पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए

जाने की तारीख अर्थात् 2 सितम्बर, 2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नामित प्राधिकरण, व्यापार उपचारों के महानिदेशक के द्वारा जारी काए गए अपने अंतिम परिणामों की अनुशंसा किए जाने के आधार पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सा.का.नि. 199 (अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या आयातित "फेस्ड ग्लास वूल इन रोल्स" के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 18.03.2021 से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 213 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 11/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "टायर के लिए टायर क्यूरिंग प्रेसेस" के आयात पर व्यापार उपचारों के महानिदेशालय के अनुरोध पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को दिनांक 30 सितंबर, 2021 तक की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 214 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 10/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), को पूर्व की गई अथवा लोप की गई बातों को छोड़ते हुए निरस्त करना है क्योंकि यूरोपियन संघ, इन्डोनिशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 2-इथियल हैक्सोनोल के आयात पर एक अलग अधिसूचना के माध्यम से 5 वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जैसा कि व्यापार उपचार महानिदेशालय के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सनसेट रिव्यू के निष्कर्षों में सिफारिश की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 215 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपियन संघ, इन्डोनिशिया, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित होने वाले या वहां से निर्यात होने वाले 2-इथियल हैक्सोनोल के आयात पर नामित प्राधिकरण, व्यापार उपचारों के महानिदेशालय द्वारा जारी की गई सनसेट रिव्यू परिणामों की अनुशंसा के अनुसार और आगे भी 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 216 (अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित

- पॉलीथीन टेरिफथेलैट (पीईटी) के आयात पर 5 वर्ष के लिए नियत प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, जैसा कि व्यापार उपचारों के महानिदेशालय के नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम परिणामों में सिफारिश की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना (सात) सा.का.नि. 233 (अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करते हुए चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या आयातित मेलामाइन पर और आगे की अवधि के लिए जिसमें दिनांक 30 सितंबर, 2021 भी शामिल है, जो कि व्यापार उपचारों के महानिदेशालय, नामित प्राधिकरण द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (आठ) सा.का.नि. 251 (अ) जो 5 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल पोलियोलेन स्लैबस्टाक, जिसका अणुभार 3000-4000 हो' के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (नौ) सा.का.नि. 260(अ) जो 12 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या निर्यात होने वाले सामान्य ब्यूटानोल या एन-ब्यूटाइल अल्कोहॉल के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए और आगे भी निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी सैनसेट रिव्यू के निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (दस) सा.का.नि. 264(अ) जो 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के संदर्भ में व्यापार उपचार महा निदेशालय के अनुरोध पर आगे की अवधि के लिए और 20 अक्टूबर, 2021 सहित चीन जनवादी गणराज्य से उत्पन्न " बेरियम कार्बोनेट " के आयात या निर्यात पर एंटी डंपिंग शुल्क बढ़ाने के लिए दिनांक 21 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. 14/2016- सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (ग्यारह) सा.का.नि. 281(अ) जो 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 अधिसूचना सं. 50 2018-सीसाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करके वियतनाम और यूरोपीय संघ में उत्पादित या निर्यात होने वाले नाइलोन फिलामेंट यार्न (मल्टी- फिलामेंट) के आयात पर

कतिपय विशिष्टता वाले माल को प्रतिपाटन शुल्क के क्षेत्र से बाहर रखा जाना है, जिसे नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी मध्यावधि समीक्षा निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बारह) सा.का.नि. 288(अ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, ताकि दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) पर लगाये जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क के उल्लंघन को रोका जा सके, जिसे नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी धोखाधड़ी-रोधी जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 290(अ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, ताकि दिनांक 28 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं. 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत चीन में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले पॉलिटेट्राफ्लोरोइथाइलिन (पीटीएफई) पर लगाये जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क के उल्लंघन को रोका जा सके, जिसे नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी धोखाधड़ी-रोधी जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 294(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख जो दिनांक 9 जून, 2020 है, से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि. 298(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 2 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 43/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके यूरोपीय

- संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएई में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले टोल्यूइनी डी-आइसोसाईनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में हो, ऐसे माल पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को वापस लिया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.का.नि. 297(अ) जो दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएई में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले टोल्यूइनी डी-आइसोसाईनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में हो, के आयात पर अनंतिम एडीडी को लगाए जाने की तारीख से, जो कि दिनांक 2 दिसंबर, 2020 है, पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सा.का.नि. 324(अ) जो दिनांक 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी राज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 'लोहे के, मिश्रित या गैर-मिश्रित स्टील से निर्मित जोड़ रहित ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल्स' पर और आगे भी प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसमें दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि भी शामिल है, जिसे व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर दिनांक 17 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 07/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके किया गया है, ताकि उक्त माल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित सनसेट रिव्यू जांच को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके तथा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि. 339(अ) जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 11 जुलाई 2016 की अधिसूचना सं. 30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन या आर-134ए पर जिसमें दिनांक 10 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है, जिसे नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में किया जा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (उन्नीस) सा.का.नि. 350(अ) जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी राज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले 'मिथाइल एसिटोएसिटेट' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपादन शुल्क लगाया जाना है, जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सा.का.नि. 388(अ) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, रूस से उत्पन्न पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन के आयात या निर्यात पर प्रतिपादन शुल्क की उगाही को बढ़ाने के लिए दिनांक 06 जून, 2016 की अधिसूचना सं. 23/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सा.का.नि. 389(अ) जो दिनांक 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नामित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यूरोपीय संघ और सिंगापुर से उत्पन्न फिनोल के निर्यात पर प्रतिपादन शुल्क की उगाही को बढ़ाने के लिए दिनांक 8 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 6/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सा.का.नि. 442(अ) जो दिनांक 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसरण में 31 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 14 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 29/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "3% से कम जल अवशोषण के साथ पॉलिश या बिना पॉलिश किए गए ग्लेज़ड/अनग्लेज़ड चीनी मिट्टी के बरतन/विट्रीफाइड टाइल्स" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सा.का.नि. 444(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 30 नवंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 29 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 11/2016-सीमाशुल्क (एडीडी),

के तहत चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या निर्यातित "टायर के लिए टायर क्योरिंग प्रेस" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 445(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 15 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 11 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 17/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत चीनी जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, रूस, ब्राजील या इण्डोनेशिया से उत्पन्न या निर्यातित "एलौय या नॉन एलौय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 446(अ) जो दिनांक 29 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 15 दिसंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 12 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 18/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत चीनी जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, यूक्रेन, से उत्पन्न या निर्यातित "एलौय या नॉन एलौय स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 456(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, नामित प्राधिकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अवलोकन में 31 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, चीनी जनवादी गणराज्य से उत्पन्न या निर्यातित पीवीसी फ्लेक्स फिल्म पर एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 08 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 42/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सताईस) सा.का.नि. 455(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, चीनी जनवादी गणराज्य और इण्डोनेशिया में "बैम्बू फाइबर, डायड फाइबर, मोडल फाइबर और फायर-रिट्रैडेंट फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ)" के आयात पर दिनांक 08 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 43/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), के तहत लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क की लेवी को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड्डाईस) सा.का.नि. 451(अ) जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर 13 मार्च, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दिनांक 14 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 34/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत वियतनाम से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "6 मिमी और अधिक मोटाई वाली प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड" के आयात पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

(19) वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्य की प्रवृत्ति की वार्षिक समीक्षा तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकार के दायित्वों की पूर्ति करने में विचलन के बारे में एक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 223(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या 14/2020 के उपबंधों का अनुपालन न किए जाने के लिए संदेह शास्ति में छूट प्रदान करना है जिनमें विनिर्दिष्ट किया गया है कि करदाताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणी बी2सी आपूर्तियां करते समय ऐसे बीजक जारी करेगी जिसमें डायनमिक क्यूआर कोड हो।
- (दो) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 292(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (तीन) सा.का.नि. 304(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल, 2021 के माह के लिए ब्याज दर को कम करके राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।
- (चार) सा.का.नि. 305(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट करदाताओं और विनिर्दिष्ट कर अवधियों के लिए विलंब शुल्क में माफी देने के लिए अधिसूचना संख्या 76/2018-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (पांच) सा.का.नि. 306(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-4 फार्म दाखिल करने के लिए नियत तिथि को 31.05.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (छह) सा.का.नि. 307(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जनवरी-मार्च, 2021 की अवधि के लिए आईटीसी-04 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 31 मई, 2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (सात) सा.का.नि. 308(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, 2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (आठ) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (नौ) सा.का.नि. 310(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168क के अधीन शक्तियों का उपयोग करके 15.04.2021 से 30.05.2021 के बीच पड़ रहे विनिर्दिष्ट अनुपालनों को 31.05.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (दस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 333(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (ग्यारह) का.आ. 2129(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.06.2021 को केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 में संशोधन से संबंधित वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 112 के उपबंधों के लागू होने की तिथि के रूप में नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना
- (बारह) सा.का.नि. 361(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मई, 2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 15 दिन तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

- (तेरह) सा.का.नि. 362(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 तक की कर अवधियों के विनिर्दिष्ट समय के लिए ब्याज दर को कम करके राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 363(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट करदाताओं और विनिर्दिष्ट कर अवधियों के लिए माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 तक के लिए माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क में सशर्त माफी प्रदान करना है एवं माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क में माफी प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि. 364(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - एक में बाह्य आपूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.का.नि. 365(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - चार प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सा.का.नि. 366(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी - सात प्रस्तुत करने में विलंब के लिए विलंब शुल्क को तार्किक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि.367(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-बीजक जारी करने की आवश्यकता के दायरे से सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों को बाहर करने के लिए अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर में संशोधन करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि.368(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15.04.2021 से 29.06.2021 तक की अवधि के दौरान पड़ने वाले अनुपालनों की नियत तिथि को 30.06.2021 तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना सं. 14/2021-केंद्रीय कर में संशोधन करना है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बीस) सा.का.नि. 369(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-4 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 31.07.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सा.का.नि. 370(अ) जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए आईटीसी विवरणी-4 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को 30.06.2021 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 जो 1 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 371(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सा.का.नि. 450(अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. 14/2020 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के लिए देय शास्ति को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) सा.का.नि. 374(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि डीथाईलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सा.का.नि. 377(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सा.का.नि. 380(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ता-प्रवर्तक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी-प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 402(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 405(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड -19 राहत आपूर्तियों पर सीजीएसटी की रियायती दर को 30 सितंबर 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 311(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 372(अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 की कर अवधियों के लिए नियत समय हेतु ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 375(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि डीथार्डलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 378(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पाँच) सा.का.नि. 381(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ता-प्रवर्तक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी-प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 403(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 406(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड -19 राहत आपूर्तियों पर आईजीएसटी की रियायती दर को 30 सितंबर 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 383(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.09.2019 की अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर में संशोधन करना है ताकि पोतों/जलयानों के संबंध में बी2बी एमआरओ सेवाओं के लिए आपूर्ति के स्थान को प्राप्तकर्ता के स्थान में बदला जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 312(अ) जो 1 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 373(अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2021 से मई, 2021 की कर अवधियों के लिए नियत समय हेतु ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सा.का.नि. 376(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि डीथाईलकार्बनाझीन पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 379(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि पोतों और अन्य जलयानों के संबंध में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत अन्य परिवर्तनों को किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पाँच) सा.का.नि. 382(अ) जो 2 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 6/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 28.05.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यथासंस्तुत विकासकर्ता-प्रवर्तक को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले या समय पर किसी भी समय भूस्वामी-प्रवर्तक के लिए निर्मित अपार्टमेंट पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) सा.का.नि. 404(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत 14 जून, 2021 से शुरू होने वाली और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मृतक के अंतिम संस्कार, दफनाने या दाह संस्कार के लिए बनाई गई संरचना के संबंध में कार्य अनुबंध सेवाओं की समग्र आपूर्ति पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सात) सा.का.नि. 407(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12.06.2021 को हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यथासंस्तुत कोविड -19 राहत आपूर्तियों पर यूटीजीएसटी की रियायती दर को 30 सितंबर 2021 तक और सहित प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(23) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईएनएक्स/120 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति संविदा (प्रतिभूति संविदा (विनियमन) का विनियम 12) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018) के अंतर्गत मान्यता के नवीकरण के बारे में है।
- (दो) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईसीसी/126 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति संविदा (प्रतिभूति संविदा (विनियमन) का विनियम 12) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018) के अंतर्गत मान्यता के नवीकरण के बारे में है।
- (तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) (संशोधन) विनियम, 2021, जो दिनांक 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी014 में प्रकाशित हुए।
- (चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी013 में प्रकाशित हुए।
- (पाँच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (विनियम बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी012 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021 जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी011 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी010 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 16 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी010 में प्रकाशित इसका शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- (आठ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी009 में प्रकाशित हुए।

- (नौ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी008, जो दिनांक 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई और जिसके द्वारा अर्हक वित्तीय संविदा को निर्दिष्ट किया गया है।
- (दस) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी004, जो दिनांक 12 मई, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 20 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी004 में प्रकाशित इसका शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- (ग्यारह) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनएसई-आईएफएससी/262, जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एनएसई आईएफएससी लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021 के विनियम 12 के तहत मान्यता के नवीकरण के बारे में है।
- (बारह) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनएसई-एनआईसीसीएल/245 जो दिनांक 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जो एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थाएं) विनियम, 2021 के विनियम 12 के तहत मान्यता के नवीकरण के बारे में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री रामेश्वर तेली जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) ऑयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-21 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, डॉ. सुभाष सरकार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, डॉ. भागवत कराड की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.03.2021 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में 31.03.2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (3) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-I अधिकारी (भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.267(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-II अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.268(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.269(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III और क्लास-IV कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.270(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III कर्मचारी (परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.271(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक क्षमता के इन-हाउस विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.272(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.273(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (आठ) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.459(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक क्षमता के इन-हाउस विकास के लिए विशेष भत्ता) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.474(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समूह (चयन, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते का संदाय) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.475(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना विकास अधिकारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.476(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय जीवन बीमा निगम क्लास-III और क्लास-IV कर्मचारी (प्रोन्नति) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.477(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय जीवन बीमा निगम (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.478(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.479(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का संशोधन) (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.480(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) जीवन बीमा निगम (स्टाफ) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.481(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का तैयार किया जाना) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 11 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/5/177/2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/3/175/2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियां) (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/6/178/2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटन) विनियम, 2021 जो दिनांक 9 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/2/174/2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन होने पर शेयरधारकों या सदस्यों को दिए जाने वाले प्रतिकर के आकलन की रीति) विनियम, 2021 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/आरईजी/4/176/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(6) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) बीमा (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.262(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) बीमा लोकपाल (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.334(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा कंपनियों (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 19 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.337(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) बीमांकिक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत बीमांकिक (पेशेवर और अन्य कदाचार की जांच की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.417(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

163rd Report

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I beg to lay on the Table the 163rd Report (Hindi and English versions) on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Fifty-eighth Report on 'Attracting Investment in Post-Covid Economy: Challenges and Opportunities for India' of the Standing Committee on Commerce.

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति 297वां प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, मैं "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कार्यकरण" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 297वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 18वें और 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ:-

- (1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित “अनुदानों की मांगों (2021-22)” के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित “पट्टे पर दी गई लौह अयस्क खदानों का विकास और उनकी अधिकतम क्षमता का उपयोग” के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 190वें और 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, एडवोकेट अजय भट्ट जी की ओर से, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित दार्जिलिंग और सिक्किम में पर्यटन का विकास के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित जम्मू कश्मीर में पर्यटन का विकास के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(1205/NK/PS)

**STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 322ND AND 324TH REPORTS OF
STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN,
YOUTH AND SPORTS – LAID**

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : आइटम नम्बर 13.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. SUBHAS SARKAR): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay the following statements regarding:-

1. the status of implementation of the recommendations contained in the 322nd Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education.
2. the status of implementation of the recommendations contained in the 324th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education.

MOTION RE: 23RD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Pralhad Joshi, I beg to move:

“That this House do agree with the Twenty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 30th July, 2021.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 30 जुलाई, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

TRIBUNALS REFORMS (RATIONALISATION AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

1208 hours

माननीय सभापति : आईटम नम्बर 15.

श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952, the Customs Act, 1962, the Airports Authority of India Act, 1994, the Trade Marks Act, 1999 and the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and certain other Acts.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I withdraw the Bill.

TRIBUNALS REFORMS BILL

1209 hours

माननीय सभापति : आईटम नम्बर 16.

श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Chairperson Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952, the Customs Act, 1962, the Airports Authority of India Act, 1994, the Trade Marks Act, 1999 and the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and certain other Acts.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने-अपने सीट्स पर चले जाइए। अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्री मनीष तिवारी जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपके सदस्य बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन जी।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Chairperson, Sir, by riding roughshod over the Opposition's legitimate right, the Government has been bulldozing one after another legislation without any discussion. ... (Interruptions)

माननीय सभापति: सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, आज बीएसी में यही बात रखी गई, ... (व्यवधान) बीएसी में नियम 193 की कोई इनलिस्टमेंट नहीं है। बीएसी में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए कोई सहमति नहीं बनी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री थोमस चाज़िकाडन ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, हम चर्चा चाहते हैं, ... (व्यवधान) हम चर्चा चाहते हैं, ... (व्यवधान) हम चर्चा चाहते हैं, ... (व्यवधान) चर्चा चाहते हैं, ... (व्यवधान) लेकिन शुरूआत में पेगासस पर चर्चा हो। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा कतिपय अन्य अधिनियमों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

(1210/SK/SMN)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी): माननीय सदस्यगण, आप लोग कृपया चर्चा करने के लिए बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1210 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/MK/SNB)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती राम देवी पीठासीन हुईं)

... (व्यवधान)

1401 बजे

(इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : महासचिव ।

**MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA -- LAID**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

“In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Coconut Development Board (Amendment) Bill, 2021, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 30th July, 2021.”

2. Sir, I lay on the Table the Coconut Development Board (Amendment) Bill, 2021, as passed by Rajya Sabha on the 30th July, 2021.

नियम 377 के अधीन मामले

1401 बजे

माननीय सभापति: श्री दिलीप शङ्कीया जी ...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री सुमेधानन्द सरस्वती जी ।

... (व्यवधान)

Re: Need to upgrade State Highway 37 B (Kotputli-Sikar) as a National Highway

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टेट हाइवे (37 B) कोटपुतली-सीकर वाया नीम का थाना होकर जाता है। यह मार्ग सीकर, झुंझुनू, नागौर और जोधपुर वासियों के लिए दिल्ली, अलवर जाने का सरल, सुगम एवं उपयुक्त एकमात्र मार्ग है। लेकिन, यह सड़क पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। रोज जाम की स्थिति बनी रहती है। अगर, इस स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में परिवर्तित किया जाए तो सीकर लोक सभा क्षेत्रवासियों के साथ-साथ नागौर, झुंझुनू वासियों के लिए दिल्ली, अलवर, यूपी के लिए लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

(इति)

माननीय सभापति: श्री राहुल कस्वां जी ...

... (व्यवधान)

Re: Setting up of a Santhali channel in Doordarshan

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): Madam, Santhali is the oldest language in the country. There are more than one crore people in West Bengal, Jharkhand, Assam, Odisha, Bihar and Tripura who speak Santhali language. This language has been included in the 8th Schedule to the Constitution of India in 2003.

To share important information, entertainment, news etc. in any language, television has a great role to play. Santhali speaking people have a long pending demand to introduce Santhali channel in Doordarshan.

So, it is my appeal to the concerned Minister to introduce a Santhali channel in Doordarshan at the earliest. (ends)

(1405/SJN/RU)

**Re: Need to develop vacant railway land around
Railway stations at Ekma, Chainwa and Maharajganj in Bihar**

श्री जनार्दन सिंह सिग्ग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदया, महाराजगंज लोकसभा, बिहार मेरा संसदीय क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जोन के वाराणसी मंडल में एकमा, चैनवा और महाराजगंज रेलवे स्टेशन है। इन रेलवे स्टेशनों के समीप रेलवे की बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है। इस जमीन में जल-जमाव और कचड़ा बारहों मास रहता है। इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसलिए इस खाली पड़ी जमीन को जनहित, रेलहित में विकसित कर पार्क या अन्य रोजगारपरक कोई उद्यम लगाने की जरूरत है। ... (व्यवधान)

अतः माननीय सभापति महोदया के माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री जी से मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपर्युक्त रेलवे स्टेशनों के समीप खाली पड़ी जमीन को पार्क के रूप में विकसित किया जाए या अन्य कोई रोजगारपरक एवं सौन्दर्यीकरण कार्य सम्बन्धी परियोजना बनाकर उसे प्रारम्भ किया जाए, जिससे कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : आपका भाषण समाप्त हो गया है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री छतर सिंह दरबार ...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी जी।

... (व्यवधान)

Re: Need to set up a Plastic Park at Balasore, Odisha

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): Madam, Balasore in Odisha is a town with significant presence of plastic and related industries. The North Odisha Chamber of Commerce and Industries has made an assessment that more than hundred MSME units in plastic sector are located in Balasore and most of the units are successful. Therefore, Government of India has set up CIPET Centre at Balasore for imparting training and incubation of plastic industries. ... (Interruptions)

There is a felt need for a plastic park in Balasore for better leveraging of potential in plastic sector. The plastic park can create the right ecosystem for the plastic sector to grow and excel, contributing to the growth of economy of the region, state and the country. ... (Interruptions) I urge the Ministry of Chemicals and Fertilisers to consider setting up of Plastic Park at Balasore, for which adequate support system including land is available. ... (Interruptions)

(ends)

Re: Need to develop road between Patiala and Haridwar via Pehowa as a four lane road

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र) : माननीय सभापति महोदया, पटियाला से हरिद्वार (वाया पिहोवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा, रादौर, यमुनानगर) तक सड़क की कुल लम्बाई लगभग 223 किलोमीटर है। इस सड़क का एक अहम हिस्सा पिहोवा से यमुनानगर तक मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और ये मैंने खुद अनुभव किया है कि इस सड़क पर बहुत अधिक यातायात होने की वजह से समय-समय पर जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के अधिकतर लोग किसान हैं, जिनके उत्पाद के लिए तीन चीनी की मिलें, पांच अनाज मंडी, पांच सब्जी मंडी व हरियाणा की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पटियाला से हरिद्वार (वाया पिहोवा) मार्ग को विकसित करके चार लेनिंग करवाया जाए, ताकि इन राज्यों के नागरिकों को जाम व होने वाली दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : आपका भाषण समाप्त हो गया है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री छेदी पासवान जी।

... (व्यवधान)

(1410/YSH/SM)

Re: Need to provide stoppage of Rajdhani Express at Sasaram Railway junction, Bihar and also expedite construction of proposed railway line from Dehri-on-sone to Banjari

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदया, विषय-1 पूर्व मध्य रेलवे के सासाराम जंक्शन पर गाड़ी सं.- 12301/12302 (हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस) एवं गांडी सं.- 12313/12314 (नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस) का ठहराव सुनिश्चित करने के संबंध में।

विषय-2, वर्ष 2008-2009 के रेल बजट में स्वीकृत डेहरी-ऑन-सोन से बंजारी तक प्रस्तावित रेल लाइन के निर्माण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में अनुरोध है कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 30 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व देने वाला सासाराम जंक्शन एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के विश्व धरोहर वाला शहर में स्थित है। बौद्ध सर्किट में स्थित एक बड़ा व्यापारिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। यहां पर देश की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है, जहां पूरे वर्ष देश-विदेश के पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं/यात्रियों की सुविधा हेतु राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव सासाराम जंक्शन पर किया जाए।

2. डेहरी-ऑन-सोन से बंजारी तक प्रस्तावित रेल लाइन का निर्माण काफी दिनों से लंबित है, जिसे शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए रेल मंत्रालय को सदन के माध्यम से इस पुनीत कार्य हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Regarding development of Ambala as Industrial Hub

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Madam, I would like to draw the attention of Hon. Industry Minister towards the fact that my Ambala Lok Sabha constituency has a great potential to be developed as an industrial hub. Ambala is well connected to G.T. Road and has best railway facilities and international airport at Mohali.

A huge investment infrastructure may play a significant role as large planned investments such as Dedicated Freight Corridors(DFCs) in roads, rails and airways across India will bolster trade and consequently raise industrial demand. Investment in infrastructure in Ambala will reduce the pressure on Delhi and NCR region.

For example, Kalka in my Lok Sabha constituency is the gateway of Himachal Pradesh and all the fruits and vegetables are supplied to Delhi. If Ambala will be industrial hub then we can prevent rotting of fruits and vegetables. Sir, this industrial hub may be significant for Punjab, Himachal Pradesh, Chandigarh also.

(ends)

Re: Need to establish AIIMS in Prayagaraj district, Uttar Pradesh

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): आदरणीय सभापति महोदया, जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाला जनपद है। यहां कि आबादी 3178 गाँवों में स्थित है, जिसमें लगभग 70 लाख की आबादी है। यहाँ के निवासियों के इलाज हेतु उत्तम सुविधाओं से युक्त उच्च क्षमता वाला एम्स की तरह का कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ के निवासियों के इलाज हेतु लखनऊ एवं दिल्ली जाना पड़ता है। प्रयागराज में आसपास के जनपदों के साथ ही मध्य प्रदेश के भी रोगी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। इसलिए चिकित्सा के बुनियादी ढांचे का नवनिर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से मांग करती हूँ कि जनपद प्रयागराज में एक एम्स की स्थापना की जाए, जिससे जनपद प्रयागराज व बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल के भी रोगियों को उच्च चिकित्सा सुविधा मिल सके।

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): श्री सुशील कुमार सिंह ...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मुकेश राजपूत ...

... (व्यवधान)

(1415/KSP/RPS)

Re: Setting up of regional campus of Morarji Desai Institute of Yoga and Naturopathy in Mysuru

SHRI G. S. BASAVARAJ (TUMKUR): Madam Chairperson, India's gift to the entire humanity as acknowledged by the United Nations in dedicating June 21 every year as International Yoga Day deserves to be made an integral part of our daily health regimen within the confines of our home. ... (*Interruptions*) The dreaded pandemic COVID-19 turned out to be, if for nothing else, a godsend for every Indian to take to the habit of doing Yoga at home and many of us have discovered the benefits of physical and mental wellness that Yoga bestows upon us in abundance. ... (*Interruptions*) Mysuru in Karnataka is known as the cradle of Yoga gurus and practitioners. ... (*Interruptions*) Serious students from all over the world come here to learn the practice of Yoga in the solemn ambience of the Gurukula of the yesteryears. ... (*Interruptions*) I urge the Centre to establish a regional campus of the Morarji Desai Institute of Yoga and Naturopathy headquartered in New Delhi, in Mysuru as the hub of learning and practice of Yoga as mastered by our sages and bequeathed to the posterity through well documented scriptures. ... (*Interruptions*) Yoga should thus be made an integral part of every Indian, in his/her daily morning prayer and meditation as nature's bounty for all-round wellness. ... (*Interruptions*)

(ends)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे ...

...(व्यवधान)

श्री मोहन मंडावी ।

**Re: Need to provide residential facilities to health workers in
Primary Health Centres**

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): सभापति जी, वैश्विक महामारी कोविड-19 काल के दौरान अनेक कोरोना वारियर्स की भूमिका सराहनीय रही है। ...(व्यवधान)

महोदया, स्वास्थ्य विभाग का जमीनी अमला, जिन्होंने पूरी तन्मयता से कोविड प्रभावित लोगों की सेवा करने में कोई कोताही नहीं बरती और तत्परता से रात-दिन अपनी सेवाएं दी, ऐसा जमीनी अमला, जिनकी नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में है, उनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवास की व्यवस्था नहीं है, जिससे विशेषकर महिला कर्मचारियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।...(व्यवधान)

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र कांकेर, छत्तीसगढ़ के अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवास नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कोविड के प्रसार के कारण भयवश ऐसे कर्मचारियों को गांवों में किराए का मकान भी नहीं मिल पाता।...(व्यवधान)

अतः सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जी-टाइप और एच-टाइप आवास निर्माण की अनुमति दिए जाने हेतु निर्देशित करें।...(व्यवधान)

(इति)

Re: Need to declare Tharali - Ghat road as a National Highway

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): सभापति महोदया, थराली घाट मोटर मार्ग (लगभग 60 किलोमीटर) को राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। ...(व्यवधान)

(इति)

(1420/RAJ/KKD)

...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय सभापति : आप उतना ही बोलिए, जितना लिख कर दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप नहीं बैठेंगे? क्या करें?

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 3 बज कर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1421 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा तीन बजकर तीस मिनट तक
के लिए स्थगित हुई।

(1530/VB/RP)

1530 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।(माननीय सभापति श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुई)

... (व्यवधान)

1530 बजे

(इस समय श्री हिबी ईडन, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल केनिकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए। मैं चर्चा कराऊँगी।

... (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – जारी - सभा पटल पर रखे गए

1531 बजे

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन शेष मामले सभा-पटल पर रखे जाते हैं।

... (व्यवधान)

Re: Need to set up a Commission to resolve border disputes between States

श्री दिलीप शङ्कीया (मंगलदोई): महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों का रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से देश में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और चीन जैसे अन्य देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहकर संबोधित किया है जो सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक गौरव का विषय है लेकिन लम्बे समय से चले आ रहे अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों के कारण यहां की स्थिति खराब हो रही है। वर्तमान में असम मिजोरम के बीच हुए सीमा विवाद में मिजोरम द्वारा जिस प्रकार असम पुलिस के जवानों और नागरिकों पर हमला कर उनकी हत्या की गयी वैसा पहले भी इस प्रकार की हिंसक झड़पे और हत्याएं होती रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल बना रहता है। महोदय, मैं असम से चुनकर आया हूँ और सदन में हमेशा असम के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के हितों के लिए तत्पर रहता हूँ लेकिन हाल ही में जिस प्रकार असम मिजोरम सीमा में हुई हिंसक झड़प और गोलीबारी से हमारे असम पुलिस के जवानों सहित छः लोगों की हत्या हुई है वो निन्दनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। इस घटना से देश की अखण्डता को चोट पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि पूर्वोत्तर राज्यों की लम्बे समय से चल रहे सीमा विवादों को ध्यान में रखकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश जारी करे और इसका स्थायी समाधान निकालने हेतु निश्चित समय सीमा में आयोग बनाकर सीमाओं का निर्धारण कराने हेतु दिशा निर्देश जारी करें जिससे भविष्य में इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को रोका जा सके और स्थानीय निवासियों के हितों और स्वाभिमान की भी रक्षा हो सके। (इति)

Re: Implementation of works under Jal Jeevan Mission

श्री राहुल कस्वां (चुरु): जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए गाँवों में पाईप लाईनें डाली जा रही हैं, उसमें उपयोग आने वाली सामग्री व पाईप लाईन बहुत ही घटिया गुणवत्ता वाली डाली जा रही है, जिस संबंध में समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनल पर काफी शिकायतें आ रही हैं। 50वर्ष के लगभग समय हेतु यह योजना बनाई गई थी, जो मात्र 10 वर्ष भी नहीं चल सकती है। इसके अलावा दूर-दराज स्थित ढाणियों को भी जल-जीवन मिशन योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए। इस योजना का सही रूप से संचालन करने के लिए संबंधित संसद सदस्य के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति बनाई जानी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि निविदा के अनुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत किये जाने वाले कार्य सही एवं पारदर्शितापूर्वक करवाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर मोनिटरिंग कमेटी बनाकर संचालन करवाने का श्रम करावें।

(इति)

**Re: Need to strengthen police and intelligence agencies
to curb crimes against girls**

श्री छतर सिंह दरबार (धार): भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार बालिकाओं की सुरक्षा का लेकर विभिन्न कदम उठा रही हैं। तमाम सरकारी उपायों के बावजूद बालिकाओं के विरुद्ध अपराधिक वारदातें होती रहती हैं। ऐसा देखन में आया है कि कई पाकिस्तान प्रायोजित संगठन देश में सक्रिय होकर बालिकाओं को बरगलाकर अपहरण जैसी घटनाओं को अजाम दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार से मेरा आग्रह है कि पुलिस के खुफिया तंत्र को और मजबूत तथा जवाबदेह बनाया जाए जिससे उक्त अपराधियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही हो सके।

(इति)

Re: Need to provide benefits of Pradhan Mantri Awas Yojana and Ayushman Bharat Yojana to all the eligible families

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): हमारी सरकार ने समाज के दलित, शोषित, पिछड़ों और आर्थिक रूप से विपन्न समुदायों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी दर्जनों कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की है और निश्चित रूप से इसका लाभ करोड़ों गरीब एवं असहाय परिवारों को मिल रहा है तथापि लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका नाम इस सूची में दर्ज नहीं है और लाखों गरीब परिवार आज भी सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हैं।

जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें नियमित रूप से ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि इन योजनाओं का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों अथवा सही लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि जिलेवार पुनः सर्वे कराकर वास्तविक लाभार्थियों को चिह्नित कर इन गरीब परिवारों का नाम लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाए।

(इति)

Re: Inclusion of potato in free ration

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ जिन्होंने इस कोरोना में विगत 14 महीनों से पूरे देश को के गरीबों को निशुल्क अनाज वितरण कराया और करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि प्रति यूनिट 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल और 1 किलो दाल जो निशुल्क बांटी जा रही है इसमें दाल के स्थान पर यदि प्रति यूनिट 5 किलो आलू दे दिया जाए तो गरीब कुपोषित बच्चों को हरी सब्जी के रूप में प्रचुर मात्रा में फाइबर मिनरल्स एवं कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व भी मिल जाएंगे जिससे उनका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होगा एवं देश के आलू किसानों का भी आर्थिक रूप से भला होगा। कोल्ड स्टोरेज से मात्र 15 से 20 क्विंटल ही आलू की निकासी हुई है 80% आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में रखा है जो बाद में फेका जाता है।

(इति)

**Re: Relieving of employees selected to the post of
Track maintainers and 'Khalasi' in Railways**

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): रेलवे की कार्यशालाएँ एवं प्रतिष्ठान में हेल्पर ग्रेड पे PML-01(GP Rs. 1800/-) ग्रुप 'डी' केटेगरी में रेलवे के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रमोशन हेतु रेलवे बोर्ड के 10% एवं 40% कोटा के प्रावधान के अंतर्गत भर्ती के लिए रेलवे के हर जोन से नोटिफिकेशन जारी किये जाते हैं। कुल पात्र आवेदनों से रेलवे की कार्यशालाएँ एवं प्रतिष्ठान की स्क्रीनिंग कमिटी ऐसे कर्मचारियों का चयन करती है। इसी तरह 2016 से आज तक भुसावल तथा अन्य सेंट्रल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत इलेक्ट्रो लोकोमोटिव वर्कशॉप(ELW-POH)से 10% एवं 40% कोटा भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के उपरांत, स्क्रीनिंग कमिटी ने कर्मचारियों {ट्रैक मेन्टेनेर्स(Trackmaintainers) एवं खलाशी} का सिलेक्शन भी किया है, लेकिन इन कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया गया यह कहते हुए कि रिलीव किये जानेवाले कर्मचारियों की जगह जब तक जोनल रेलवे द्वारा नये कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वह इन कर्मचारियों को रिलीव नहीं कर सकते और आज तक भी इन कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से एवं रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि भुसावल सेंट्रल रेल के इन कर्मचारियों को तुरंत रिलीव करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश निर्गमित करे जिससे इन कर्मचारियों को प्रमोशन मिले तथा नेचुरल जस्टिस मिले।

(इति)

**Re: Construction of a Dam across Cauvery river
at Mekedatu in Karnataka**

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): The Government of Karnataka is planning to construct a dam across Cauvery river at Mekedatu. If this dam is constructed, the Karaikal region delta farmers will be badly affected. This proposed dam can store water upto 67 TMC which will affect the supply to Tamil Nadu and Puducherry. This in turn will affect the agricultural activity in this region and economic condition of the people. The Central Government should intervene and stop the project. Also, Karnataka is constructing a dam across Markandeya Nadi which is a major source of water to Thenpennai river flowing in Tamil Nadu, Puducherry and which empties in Bay of Bengal. The South Pennai river is source of irrigation in many villages of Puducherry and caters around 4778 acres of land. This is against the Inter-State River Water Dispute Act-1956. The Central Government should remove the constructed portion immediately.

(ends)

Re: Compensation to land oustees for Attingal bypass

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I would like to draw the attention of the Government towards the delay in the process of land acquisition for widening of Kazhakkuttam–Kadambattukonam stretch of National Highway 66. The National Highways Authority of India is planning the construction of Attingal bypass in my constituency as part of this stretch widening. After long waiting for years the final notification for land acquisition for this project was issued in September, 2020. Now the land owners are facing great difficulties due to delay in getting compensation for their land and properties earmarked. Many of them will lose their houses and they cannot buy or construct new house without this compensation. So, I request the Government to take immediate measures to complete the process of land acquisition of this project at the earliest.

(ends)

Re: Establishment of export Centre for firecrackers in Sivakasi

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I would like to urge the Government to take steps for export of firecrackers and establish an export centre in Sivakasi, Tamil Nadu. Sivakasi in Tamil Nadu with a number of industries manufacturing fireworks contributes significant share for the growth of the State of Tamilnadu with employment for more than 10000 people directly and indirectly. The domestic consumption of firecrackers across the country is largely managed by the products from these industries while these industries also export firecrackers. To develop the industry which is already affected by the global lockdown followed by the Covid pandemic, there is a need for establishment of export centre for fire crackers in Sivakasi with adequate incentive for exports in the form of reducing shipping charges and providing guidance for exports. Therefore, I request the Government to take necessary step for the establishment of export centre at Sivakasi for firecrackers at the earliest.

(ends)

Re: Water management plan for Andhra Pradesh

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I thank the Jal Shakti Ministry for notifying KRMB and safeguarding the interests of farmers of Andhra Pradesh.

I make the following requests to the Jal Shakti Ministry:-

(i) to instruct KRMB to take note of excess water usage that Telangana has utilised in the last 2 months and the same be accounted against their quota of 299 TMC.

(ii) Denotify the Prakasam Barrage which is in Andhra Pradesh whose water is fully utilized by Andhra Pradesh.

(iii) Third, and most importantly create a water management plan on urgent basis so that during the time of floods, water be used by both the states over and above the allocated quota.

(ends)

Re: Reservation to Maratha community

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महाराष्ट्र राज्य में मराठा समाज काफी बड़ी संख्या में मौजूद है और मराठा समाज लढवय्या के तौर पर जाना जाता रहा है। लेकिन आज मराठा समाज विकट स्थिति से जूझ रहा है तथा कई साल से यह समाज आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया है। इस कारण मराठाओं में विषमता निर्माण हो गयी है। मराठा समाज पर हो रहे अन्याय दूर करने एवं उन्हें न्याय दिलाने हेतु मराठा समाज को आरक्षण मिलना जरूरी है। सन 1902 में महाराष्ट्र कोल्हापुर के छात्रपति राजर्षि साहू महाराज ने सर्वप्रथम वंचित समाज के लोगों का आरक्षण दिलवाया। इसमें उन्होंने मराठा समाज को भी आरक्षण दिया था। लेकिन अब मराठा समाज आरक्षण से वंचित है। मराठा आरक्षण की मांग काफी लंबे समय से हो रही है उसके लिए यह समाज आरक्षण हेतु लड़ रहा है। सन् 2018 में तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा मराठा समाज को दिया गया आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। लेकिन अभी संविधानिक संशोधन कर मराठा समाज को आरक्षण दिया जा सकता है। इस हेतु राज्य शासन मागासवर्ग आयोग के माध्यम से मराठा समाज के मागासवर्गीय अहवाल तैयार कर लेगी और राज्यपाल राष्ट्रपति जी से निवेदन कर समुचित अहवाल उन्हें भेज देंगे। राष्ट्रपति द्वारा यह अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोग के पास आने के बाद यह अहवाल संसद में पेश होगा, इसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी होगी वह वे नियमानुसार पूर्ण करेगी ऐसा मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूँ कि केन्द्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी नियमानुसार पूर्ण करेगी।

जय महाराष्ट्र।

(इति)

Re: Need to undertake caste census in Census 2021

श्री संतोष कुमार (पूर्णिमा): हमारा देश जातिगत समाज है। अब प्रश्न उठता है कि किन-किन जातियों की संख्या कितनी है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह होना भी अनिवार्य है। संख्या बल ही उस जाति के अस्तित्व का निर्धारण करता है। मुख्यतः आरक्षण को ही आधार मान लिया जाय तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। यह संविधान की मूल व्यवस्था और भावना भी है। उसी को आधार मान कर हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री, बिहार, विधान सभा एवं अन्य प्लेटफार्म पर यह मांगें उठाते आ रहे हैं कि प्रस्तावित भारत की जनगणना 2021 को जातिगत आधारित जनगणना केन्द्र सरकार अवश्य करा ले। इससे सारी स्थिति साफ हो जायेगी। जातिगत आंकड़ों को लेकर जो भी दुविधा हो रही है वह समाप्त हो जायेगी। कई राज्यों की सरकारें जातिगत जनगणना चाहती हैं, उनकी भी जातिगत आधारित जनगणना की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि 2021 की प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना को शामिल किया जाय।

(इति)

Re: Judicial inquiry into the death of a Jesuit priest and activist

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): The 84 year-old Jesuit priest and activist Fr. Stan Swamy who championed the rights and causes of the adivasis who was arrested by the NIA under the draconian UAPA and was sought to be linked with the Bhima Koregaon cases died in a private hospital on July 5. He was denied treatment for his various diseases, various human rights and other organisations made appeals to the Govt to shift him from Taloja jail due to the huge rise in Covid cases that went unheeded. His appeals for bail and being sent home were rejected, later from the Bombay High Court's intervention he was admitted to a private hospital. But it was too late to prevent his death in custody. According to NHRC custodial death needs to be inquired by a judicial magistrate, so I urge this Govt. to announce a judicial inquiry at the earliest.

(ends)

**GENERAL INSURANCE BUSINESS
(NATIONALISATION) AMENDMENT BILL**

1531 hours

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 18, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021.

माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to move:

“That the Bill further to amend the General Insurance Business
(Nationalisation) Act, 1972, be taken into consideration.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने
वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

खंड 4

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रना

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 से 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Madam. I beg to move:

Page 2, lines 22 and 23,-

<i>for</i>	“ceases to control”	
<i>substitute</i>	“takes control of”.	(2)

Page 2, line 24,-

<i>omit</i>	“cease to”.	(3)
-------------	-------------	-----

Page 2, line 27,-

<i>omit</i>	“cessation of”.	(4)
-------------	-----------------	-----

Page 3, line 3,-

<i>omit</i>	“before the cessation of applicability”.	(5)
-------------	--	-----

Page 3, line 4,-

<i>omit</i>	“cessation of”.	(6)
-------------	-----------------	-----

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 से 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

खंड 6

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 से 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Madam. I beg to move:

Page 3, line 12,-

omit "only". (7)

Page 3, lines 13 and 14,-

omit ", attributable through board processes, and with his consent or connivance or where he had not acted diligently". (8)

Page 3, line 16,-

after "shall".
insert "not". (9)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

(1535/IND/NKL)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): प्रश्न यह है:

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, with all might and mettle at my command, I am strongly, vehemently and stridently opposing the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021 which is an anti-people and anti-national legislation. ... (Interruptions) सदियों पुराना हमारा प्रतिष्ठान चुनिंदा पूंजीपतियों की ... (Not recorded) के लिए ... (Not recorded) जा रहा है।... (व्यवधान) यह सरकार देश को ... (Not recorded) ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, अधीर रंजन जी सरकार पर सरासर ... (Not recorded) आरोप लगा रहे हैं। मैडम इसका जवाब देना चाहती हैं... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदया, मैं अधीर रंजन जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ... (व्यवधान) माननीय सांसद प्रेमचन्द्रन जी ने जो पाइंट्स रेज किए हैं, उन सभी का मैं जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने इतनी इमोशनली जो बात कही है, वह टोटली बेबुनियाद है। सरकार किसी का हक नहीं छीन रही है... (व्यवधान) आप जवाब सुनिए... (व्यवधान) प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस कम्पनियां आम जनता को कम पैसे में अच्छी पॉलिसीज दे रही हैं, जिससे प्रीमियम कम हो रहा है। ये लोग ... (Not recorded) फैलाने, 'झूठ' शब्द अनपार्लियामेंट्री है, इसलिए मैं कहूंगी कि ये असत्य बोल रहे हैं... (व्यवधान) ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण बिल के खिलाफ बोल रहे हैं। यदि उन्हें इस बिल के खिलाफ कुछ कहना है, तो शांति से बैठें और चर्चा करें, प्रश्न पूछें। उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। चर्चा करने से सच्चाई बाहर आ जाएगी, इस डर से आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं... (व्यवधान)

Madam, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 3 अगस्त, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1539 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 अगस्त, 2021 / 12 श्रावण, 1943 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।